कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण शाखा) रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/छात्रवृत्ति/आजाक./2016/ 3123 रीवा दिनांक 4/6/2016

प्रति,

1. अधीष्ठाता/प्राचार्य/नोडल संस्था
शासकीय ....विश्वविद्यालय/महाविद्यालय ....
जिला रीवा (म.प्र.)

2. प्राचार्य/संचालक
अशासकीय ....महाविद्यालय ....
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- वर्ष 2016–17 मे अनु.जाति/जनजाति छात्र/छात्राओ की छात्रवृत्ति प्रस्ताव तैयार करते समय विशेष सावधानिया बरतने के संबंध में।

—"—

विषयांतर्गत लेख है कि वर्ष 2015–16 मे आपके द्वारा तैयार किये गये अनु.जाति/जनजाति छात्र/छात्राओ के छात्रवृत्ति प्रस्ताव मे छात्रो के बैंक खातो एंव आई.एफ.एस.सी.कोड मे व्यापक पैमाने पर गलती की गई है जिसके कारण छात्रो के बैंक खातो मे आज दिनांक तक छात्रवृत्ति का भुगतान कोषालय द्वारा ई–पेमेन्ट नही हो सका है, उक्त राशि का या तो बैंकर्स चेक डी.डी.ओ. के नाम से वापस आ रहे है अथवा जो गलत बैंक खाता आपने प्रस्ताव मे अंकित किये है मे राशि चली गई है ऐसी गलती व्यापक पैमाने पर सामने आ रही है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि छात्रो को छात्रवृत्ति का भुगतान न होने के कारण छात्रो द्वारा सी.एम.हेल्पलाईन मे एवं कमिश्नर/कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर जन जनसुनवाई मे शिकायते की जा रही है जिसे शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जाकर संस्था प्रमुखों को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2016–17 मे छात्रवृत्ति प्रस्ताव तैयार करते समय बैंक खाता क्रमांक एंव आई.एफ.एस.सी.कोड की सही फीडिंग करने के साथ–साथ निम्न दस्तावेज छात्र/छात्राओ से प्राप्त करना अनिवार्य होगा :–

01– छात्रो द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल 2.00 मे भरे गये आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी।
02– छात्रो के पिता/अभिभावक का आय प्रमाण–पत्र (शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा)
03– छात्रो का स्थायी जाति प्रमाण–पत्र (अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की छाया प्रति,
04– छात्रो द्वारा स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति की छायाप्रति (द्वितीय प्रति टी.सी. छात्रवृत्ति हेतु मान्य नही होगी)
05– छात्रो द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 मे आनलाईन आवेदन पत्र मे भरे गये बैंक की पासबुक की छायाप्रति जिसमे खाता कमांक एंव आई.एफ.एस.सी. कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो।
06– छात्रो द्वारा आधार नम्बर की छायाप्रति जो बैंक खाता से लिंक कराया गया हो .
07– छात्र का निवास प्रमाण–पत्र तहसीलदार का होना चाहिए।

(डॉ. ए. एस. यादव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

08— छात्रो की समग्र आई.डी.पत्र की छायाप्रति,

09— छात्र द्वारा उत्तीर्ण की गई पिछले दो वर्षो की अंकसूची की छायाप्रति,

10— छात्रो द्वारा संस्थाओ मे प्रवेश के एक माह के अंदर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र आनलाईन भरना अनिवार्य होगा।

कृपया उपरोक्त अभिलेख/दस्तावेज छात्र/छात्राओं से प्राप्त करने के पश्चात ही छात्रवृत्ति प्रस्ताव मे छात्र का नाम अंकित करें साथ ही सभी छात्रो का एकजाई प्रस्ताव तैयार करावे भिन्न–भिन्न कर प्रस्ताव तैयार न करें। अशासकीय महाविद्यालयो मे प्रवेशित अनु.जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के प्रस्ताव पूर्व से नियुक्त शासकीय प्राचार्य/नोडल महाविद्यालय के माध्यम से छात्रवृत्ति का प्रस्ताव समय–सीमा मे तैयार कर कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण जिला रीवा को प्रस्तुत करेगें। उपरोक्त दिए गये निर्देश के बाद भी प्रस्ताव मे कमी पाई जाने की स्थिति मे यदि छात्र–छात्राएं छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह जाते है तो इसकी सम्पूर्ण उत्तरादायित्व संबंधित संस्था प्रमुख की होगी।

कलेक्टर 10/6

जिला रीवा (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/छात्रवृत्ति/आजाक./2016/ रीवा दिनांक ....

प्रतिलिपि :—

01— आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल।

02— अयुक्त अनु.जाति विकास म.प्र. भोपाल।

03— आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल।

04— आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल।

05— आयुक्त तकनीकी शिक्षा म.प्र. भोपाल।

06— अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा।

07— संभागीय उपायुक्त आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास रीवा संभाग रीवा।

08— उप संचालक जनसम्पर्क रीवा की ओर भेजकर स्थानीय समाचार पत्रो मे निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

Sd/—

कलेक्टर

जिला रीवा (म.प्र.)

A [illegible]
OSD (छात्रवृत्ति)

डॉ. ए. एस. यादव
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विधानसभा प्रश्न 4276 (883) परि.

कार्यालय प्राचार्य शासकीय शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय,मऊगंज रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/1060/स्था0/2016

मऊगंज दिनांक 29/11/2016

छात्रवृत्ति वितरण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि शासकीय शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) के सत्र 2015–16 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के पो0 मै0 छात्रवृत्ति का वितरण ई0 पेमेंट के माध्यम से किया जा चुका हैं।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय मऊगंज
जिला–रीवा (म0प्र0)

OSD
(छात्रवृत्ति)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल